

तारीख हुकम


हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व वाद संख्या 438/2018 अनवान मांगीलाल बनाम नथाराम

नथाराम की खातेदारी में सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी बनते हैं।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा भाडखा पुरोहितान पटवार मण्डल भाडखा तहसील व जिला बाडमेर में स्थित खसरा संख्या 44 रकबा 91.03 बीघा, खसरा संख्या 622/472 रकबा 118.01 बीघा मौजा नारणोंनियों की ढाणी पटवार मण्डल भाडखा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 34 रकबा 0.06 बीघा, खसरा संख्या 144/33 रकबा 48.10 बीघा, खसरा संख्या 146/35 रकबा 22.01 बीघा खसरा संख्या 152/65 रकबा 16.19 बीघा भूमि तथा मौजा हरियाली पटवार मण्डल भाडखा तहसील व जिला बाडमेर में स्थित खसरा संख्या 996/356 रकबा 38.12 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 नथा पुत्र वागा के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए वादीगण प्रत्येक का 1/12-1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 नथा पुत्र वागा का 1/12 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जाता हैं। शेष खाता बदस्तुर रहेगा तथा जमाबन्दी चौसाला में जीटीजीबी शाखा भाडखा के नाम रहन का अंकन यथावत कायम रहेगा। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फ़ैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।




सहायक कलेक्टर
(SDO) बाडमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर
पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री
अनवान

वादीगण
1 मांगीलाल 2 गेमराराम पिसरान
नथाराम जाति जाट निवासी
जेताणियों की ढाणी पटवार मण्डल
भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम
प्रतिवादीगण
1 नथाराम पुत्र बागाराम 2 पदमाराम 3
इन्दाराम 4 गोनधनराम पिसरान राजाराम
5 जेतीदेवी पत्नी राजाराम जाति जाट
निवासी जेताणियों की ढाणी पटवार
मण्डल भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर
6 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरुधरा
ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा तहसील व
जिला बाड़मेर।

दावा बाबत 88 व 188 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :- 438/2018


निर्णय दिनांक :- 21.01.2019

वकील वादीगण उपस्थित एवं वकील प्रतिवादीगण उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21.01.2019 को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :-

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा भाड़खा पुरोहितान पटवार मण्डल भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर में स्थित खसरा संख्या 44 रकबा 91.03 बीघा, खसरा संख्या 622/472 रकबा 118.01 बीघा मौजा नारणोनियों की ढाणी पटवार मण्डल भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 34 रकबा 0.06 बीघा, खसरा संख्या 144/33 रकबा 48.10 बीघा, खसरा संख्या 146/35 रकबा 22.01 बीघा खसरा संख्या 152/65 रकबा 16.19 बीघा भूमि तथा मौजा हरियाली पटवार मण्डल भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर में स्थित खसरा संख्या 996/356 रकबा 38.12 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 नथा पुत्र वागा के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए वादीगण प्रत्येक का 1/12-1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 नथा पुत्र वागा का 1/12 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा तथा जमाबन्दी चौसाला में जीटीजीवी शाखा भाड़खा के नाम रहन का अंकन यथावत कायम रहेगा। तहसीलदार बाड़मेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह आज तारीख 21.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।




(नीरज मिश्र)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	